



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177670

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 395

सन् 2026

अनुभव मिश्रा

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार गुप्ता, भृगुराम जी, देव व्रत पांडे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने दिनांक 20.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भृगुराम जी पांडे और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री मनोज गौतम को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 79 सन् 2022 के अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 325, 504, 506, 286, 308, भारतीय दंड संहिता, थाना- मौदहा, जिला हमीरपुर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. सबसे पहले, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

4. दूसरी ओर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे डर है कि ऊपर बताए गए प्रकरण में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। साथ ही, यह भी बताया गया कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह अभियुक्त अनुज मिश्रा और लकी उर्फ उत्सव मिश्रा को यह न्यायालय पहले ही अग्रिम जमानत दे चुका है। यह भी कहा गया कि आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, 10 नामजद और 4-5 अज्ञात लोगों ने सूचनाकर्ता पक्ष पर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप 03 लोग घायल हुए, लेकिन किसी को भी जानलेवा चोट नहीं आई। यह भी बताया गया कि आवेदक का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसका जिक्र प्रार्थना पत्र के ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी विवेचना अधिकारी या न्यायालय को ज़रूरत होगी, वह उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. यह कहा जा सकता है कि **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर फ़ैसला करते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पिछले इतिहास, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए, साथ ही, न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ मौजूद सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका पर भी ध्यान देना चाहिए।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की उपर्युक्त दलीलों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- - अनुभव मिश्रा को दिनांक 17.2.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।



इसके लिए उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

(i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे छूट न दे।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. इस प्रकरण को दिनांक 17.2.2026 को नए प्रकरण के तौर पर सूचीबद्ध करें।

9. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।"

2. आज, जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने बताया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक पर लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने की स्थिति में अधिकतम सज़ा सात साल है। सह-अभियुक्त श्याम बाबू मिश्रा और लकी उर्फ उत्सव मिश्रा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 385/2026 और 10162/2025 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। हालाँकि आवेदक को दो आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त दर्शाया गया था, लेकिन उक्त प्रकरण में उसका नाम शामिल किया जाना गलत पाया गया।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई तथ्यों से जुड़ी दलीलों को गलत नहीं ठहरा सके।

6. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. आवेदक की भूमिका सामान्य बताई गई है। इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 10837/2022 में उसे अंतरिम सुरक्षा दी थी। आवेदक इस न्यायालय के दिनांक 20.01.2026 के आदेश के तहत अंतरिम अग्रिम जमानत पर भी है। ऐसा नहीं कहा गया है कि आवेदक ने इस न्यायालय से मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया है। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2026 के आदेश से पैरवी न होने के कारण खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसे बहाल कर दिया गया और दिनांक 07.08.2026 के आदेश से अंतरिम आदेश को भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त श्याम बाबू मिश्रा और लकी उर्फ उत्सव मिश्रा को अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

8. उपर्युक्तानुसार विचार किए गए प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता है।

9. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को इसके द्वारा पुष्ट किया जाता है। ऊपर बताए गए प्रकरण में आवेदक - **अनुभव मिश्रा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे दिनांक 20.01.2026 के पूर्व आदेश में निर्धारित उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

21 अगस्त, 2026

कुशल

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।